मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) "अधोसंरचना परियोजना" के अन्तर्गत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निस्सारण, ऊर्जा, भांडागारण, खाद्यान्न भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बागवानी और किसी क्षेत्र की कोई अन्य अधोसंरचना संबंधी परियोजनाएं या इनमें से दो या अधिक क्षेत्रों की कोई बहुउद्देशीय परियोजना;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) के अधीन किया गया था. बोर्ड का गठन वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने और सरकारी अधोसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था.

२. अधिनियम की धारा २ के अधीन बोर्ड के लिए आवश्यक है कि सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण सहित अधोसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए. बदले हुए परिदृश्य में, राज्य के सम्पूर्ण अधोसंरचना विकास हेतु, सभी अधोसंरचना क्षेत्रों को बोर्ड से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु पात्र बनाया जाए. अत: अधिनियम में परिभाषित "अधोसंरचना क्षेत्र" की व्याप्ति को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २५ फरवरी, २०१५.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) से उद्धरण.

*　　　*　　　*　　　*

धारा 2 (ङ) " 'अधोसंरचना परियोजना' के अन्तर्गत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन और जल निस्सारण के क्षेत्र में की परियोजनाएं या इनमें से एक या एक से अधिक क्षेत्रों की कोई बहुद्देशीय परियोजना"

*　　　*　　　*　　　*

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.